

नया पीएम-नीति आयोग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें और एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करें। आज नई दिल्ली में नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से शहरीकृत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएँ और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित अन्य लोगों ने बैठक में भाग लिया। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य व सीईओ भी मौजूद रहे।

धनीराम शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से नई दिल्ली में भेंट कर विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के लिए लम्बित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर परियोजना के एक सौ 32 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लम्बित है इसी तरह हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का भी 3 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक लम्बित है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण हब के तहत प्रबंधन लागत प्रबंधन लागत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमानकों से कम है। उन्होंने आग्रह किया कि इन मानकों को राज्य में प्रचलित न्यूनतम वेतन के बराबर लाया जाना चाहिए।

डॉक्टर जनक

भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास पूरी तरह से रुक चुका है। उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में

कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं भी सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों पर भी इस विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का मामला वह विधानसभा में भी उठा चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में अब मुझे मजबूरी में प्रदेश हाईकोर्ट में इस अनदेखी को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी है।

मॉक ड्रिल

प्रदेश उच्च न्यायालय में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल भूकंप को लेकर की गई। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरफ, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडीएम शिमला पंकज शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है ताकि वास्तविक आपदा के समय तुरंत राहत कार्य शुरू हो सके।

एस.पी.शिमला

हिमाचल प्रदेश पावर निगम के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद एसपी शिमला संजीव गांधी ने अपने विभाग के पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी शिमला ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डीजीपी अतुल वर्मा ने विमल नेगी मौत मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है और जांच में अनावश्यक दखल दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक पर सबूतों से छेड़-छाड़ करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे पुलिस विभाग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है।

डाक अदालत

डाक विभाग 17 जून को प्रदेश के परिमंडल कार्यालय और अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में दोपहर बाद तीन बजे डाक अदालत का आयोजन करेगा। इस डाक अदालत में जनता की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। विभाग के सहायक निदेशक जन शिकायत ने आम जनता से आग्रह किया है कि यदि उनकी ऐसी कोई शिकायत है तो वे 11 जून तक सहायक निदेशक जन शिकायत, कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल शिमला या संबंधित क्षेत्र के प्रवर अधीक्षक डाकघर को भेज सकते हैं।

रोहतांग पास

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा पर्यटकों और आम जनता के लिए आज से खोला दिया है। कुल्लू के एडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन और बी.आर.ओ. के अधिकारियों ने बीते रोज रोहतांग दर्रे का संयुक्त निरीक्षण किया और पाया कि रोहतांग दर्रे की आगे की सड़क वाहनों के

लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि दर्रे के लिए वाहनों की संख्या एनजीटी के मापदंडों के अनुसार सीमित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर सप्ताह शुक्रवार को रोहतांग दर्रे का मार्ग दोपहर दो बजे से सांय 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
